वकील वादी

14/7/2017 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प मेड़ता
पर प्रस्तुत हुई। वादी की ओर अधिवक्ता
ने प्रकरण नोट प्रेस करते हुए प्रा० प० अंतर्गत
धारा-11 CPC के तहत इस आशय का
प्रस्तुत किया गया कि हस्तगत प्रकरण
में प्रतिवादीगण द्वारा काउण्टर क्लेम में
जिन आराजियात बाबत घोषणा एवं विभाजन
चाहा गया गई न्यायालय अपर द्वारा प्रकरण
संख्या 137/2011 निर्णय दिनांक 02/05/2013
से निर्णय पारीत किया जा चुका है।
किसी प्रकरण का निस्तारण एक बार न्यायालय
से हो जाता है तो उन्हीं आराजियात की
बाबत पुनः वही पक्षकार घोषणा की चाहे
ऐसा नहीं कर सकते है इसलिए प्रतिवादीगण
का काउण्टर क्लेम भी खारीज फरमाया जावे।
प्रा० पत्र की ताईद में प्र० सं० 137/2011 (वाद)
अन्तर्गत ... बनाम ... निर्णय दि०
2/5/2013 की प्रमाणित प्रति एवं इसी प्रकरण
में जारी अन्तिम निर्णय डिक्री दिनांक
09/06/2017 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत
करते हुए निवेदन किया कि अन्तिम
निर्णय डिक्री 09/6/2017 की हवाली
पेश हो चुका ... में भी मामला हो
चुका है।

पत्रावली का अवलोकन किया
गया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों की ... है कि
में न्यायालय का निष्कर्ष है कि किसी
धारा-11 का स्थापित सिद्धान्त ... में नियमित
पक्षकार द्वारा सक्षम न्यायालय ... की
वाद प्रस्तुत ... कर दी
गई हो तो पुनः उसी विषय वस्तु
उसी न्यायालय में वाद संस्थित अथवा
विचारण नहीं किया जा सकेगा। हस्तगत वाद
में प्रतिवादीगण द्वारा प्र० सं० 137/2011 निर्णय
दिनांक 02/05/2013 एवं 09/06/2017 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.12.31 16:26:56 IST
Reason: SelfAttested

→

अनुरोध प्राप्त किया जा चुका है तथा काउन्टर क्लेम के माध्यम से पुनः उन्हीं विवाधकों को उठाया जाने से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम पश्चातवर्ती वाद की श्रेणी का होने से धारा-11 के प्रावधान लागू हो जाने से अपोषणीय हो जाता है।

अतः वाद वादी नोट प्रेस में खारीज किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम धारा-11 के प्रावधानो से विबन्धित होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से नाम हो।

14/7/17

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.12.31 16:26:56 IST
Reason: SelfAttested